3. [illegible] पश हुई। [illegible] फरिकेन
उपस्थित। पीठासीन [illegible] कार्य
में व्यस्त है / [illegible] 13/12/21 को
गत आदे[illegible] दा
देश हो। रीडर

13/12/21

आज पत्रावली पेश [illegible] फिकेन
उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible]
में व्यस्त है / भ्रमण [illegible] आयोजन।
गत आदेशानुसार दिनांक 15/12/21 को
पेश हो। रीडर

किशोर

15/12/2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत चीपली में आयोजित शिविर में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित / राजस्व सदन के मोटे से तहसीलदार झुंझुनूं उपस्थित / पत्रावली का अवलोकन किया गया / प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी किशोर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, जाति - राजपूत, निवासी - चीपली ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि राजस्व ग्राम चीपली की भूमि खाता सं. 19, 337, 531, 14, 19, 24, 27, 36, 321, 332, 333, 334, 320, 335, 317, 318, 325, 326 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम कृष्ण सिंह दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तविक नाम किशोर सिंह है। आवेदक के आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स आदि में उसका नाम किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में उसके नाम की दुरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आवेदक के द्वारा दुरुस्ती प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट पटवारी एवं तहसीलदार झुंझुनूं की रिपोर्ट क्रमांक 2430/2021/1419 दिनांक 18.08.2021 तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पत्रावली जाति रशन कार्ड, T.C. मार्क, बैंक पासबुक, सहकारी किसान कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड के अवलोकन एवं की गई जांच-पड़ताल आख्या रिपोर्ट दिनांक 13.12.2021 तथा लोग नाई कंवरसेन के बयान के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आवेदक का वास्तविक नाम किशोर सिंह है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में नाम कृष्ण सिंह दर्ज है।

अतः आवेदक किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति - राजपूत निवासी चीपली के खाता दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर तहसील झुंझुनूं के राजस्व ग्राम चीपली के राजस्व रिकॉर्ड अलावली वर्ष 2004-2005 के खाता सं. 499, 53, 531, 533, 532, 539, 148 में दर्ज "कृष्ण सिंह पुत्र भंवर सिंह" के स्थान पर "किशोर सिंह पुत्र भंवर सिंह" दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर भेजी है। पत्रावली फैसल शुमार है, भम्बर सेक्शन में दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/12/2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत चीपली में आयोजित शिविर में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.21

किशोरसिंह

Kanwal

(जगदीश प्रसाद जोइ)
प्रभारी अधिकारी
प्रभारी अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनूं
प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021